न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी: अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 15/2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. राधेश्याम पुत्र देवीचन्द विश्नोई निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. संतोकलाल पुत्र देवीचन्द विश्नोई निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. गौरीशंकर पुत्र देवीचन्द विश्नोई निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपीलाल पुत्र चुन्नीलाल विश्नोई निवासी बड़ोदा बैंक के पास बजरंगपुरा चौराहा पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. चांदी बाई पुत्री चुन्नीलाल विश्नोई पत्नी रतन विश्नोई निवासी चावण्डा माता मन्दिर के पास वाली गली सब्जी मण्डी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. सम्पत बाई पत्नी चुन्नीलाल विश्नोई पत्नी रामचन्द्र विश्नोई निवासी पांसल चौराहा के पास, पांसल रोड दैनिक भास्कर कार्यालय के सामने की गली भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. श्यामलाल पुत्र स्व0 श्री बंशीलाल विश्नोई निवासी आचार्य मौहल्ला, बंजरंगपुरा चौराहा पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. मीनू पुत्री स्व0 श्री बंशीलाल विश्नोई निवासी आचार्य मौहल्ला बजरंगपुरा पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. धापू पत्नी श्री बंशीलाल विश्नोई निवासी आचार्य मौहल्ला बजरंगपुरा पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
8. उपपंजीयक पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा
9. देवेन्द्र कुमार विश्नोई पुत्र कन्हैयालाल विश्नोई आयु 40 वर्ष निवासी बजरंगपुरा, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता –

1. श्री पृथ्वीराज चौधरी – प्रार्थी
2. श्री अमित कोठारी – अप्रार्थी
3. श्री लादूलाल गुर्जर – अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 02/01/2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज चौधरी द्वारा दिनांक 04.04.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया जो बाद जांच प्रकरण संख्या 15/2022 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की वास्ते तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

02/1/2026

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उक्त उनवान का वादपत्र प्रार्थीगण ने उक्त उनवान का वादपत्र विपक्षीगण के विरूद्ध आप न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है, जो जैर कार्यवाही है। प्रस्तुत वादपत्र काफी ठोस एवं मजबूत आधारो पर आधारित होने से अवश्य ही वादीगण /प्रार्थीगण के पक्ष में डिक्री होगा।

ग्राम पुर पटवार हल्का पुर प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 2854 मे आराजी नम्बर 8149 रकबा 1.4668 हैक्टयर भूमि स्थित है।

वादग्रस्त आराजी के साबिक आराजी नम्बर 3112 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा है, उक्त आराजी प्रार्थीगण के पिता देवीचन्द पुत्र श्री नारायण विश्नोई के नाम पर राजस्व जमाबदी संवत 2017–2020 एवं सम्वत् 2030 से 2033 तक दर्ज रेकॉर्ड है।

वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण के पिता देवीचन्द जी विश्नोई काबिज थे व उनके देहान्त उपरान्त प्रार्थीगण विरासतन उक्त आराजी पर निर्बाध रूप से आमजन व पक्षकारो की जानकारी मे निरन्तर रूप से बिना किसी दंखलदांजी के काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे व आज भी प्रार्थीगण का ही उक्त भूमि पर कब्जा एंव उपयोग उपभोग चला आ रहा है।

प्रार्थीगण को दिनांक 01 जनवरी 2022 को विपक्षी संख्या 04 लगायत 06 के पिता व पति बंशी लाल द्वारा न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत वादपत्र विभाजन आराजियात अन्तर्गत धारा 53, 54 राज० काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्या 41/2021 राजस्व वाद दिनांक 07 जनवरी 2021 से प्राप्त हुई, जिसमे उक्त भूमि विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 एवं विपक्षी संख्या 04 लगायत 06 के पिता व पति बंशी लाल को भी खातेदार बताया गया, जबकि उक्त भूमि से विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 का कोई हक संबंध नहीं है। बंशी लाल क़ा देहान्त हो चुका है, जिसके वारीस विपक्षी संख्या 04 लगायत 06 है।

इस पर प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की व मिलान खसरा, साबिक जमाबंदी प्राप्त करने पर जानकारी मे आया कि वादग्रस्त आराजी के साबिक आराजी नम्बर 3112 जमाबंदी संवत 2010–2013 एंव 2017–2020 में सेटलमेन्ट के समय तक उक्त जमीन प्रार्थीगण के पिता देवीचन्द पुत्र श्री नारायण विश्नोई के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी, सेटलमेन्ट के समय सेटलमेन्ट के अधिकारीयो व कर्मचारीयो ने बिना किसी विधिक आदेश के व बिना किसी विधिक दस्तावेज के प्रार्थीगण के पिता देवीचन्द विश्नोई के साथ रामचन्द्र, बंशी लाल पुत्र श्री चुन्नी लाल का 1/2 हक हिस्से के रूप में दर्ज कर दिया, जबकि सेटलमेन्ट अधिकारीयो को पुरानी प्रविष्टीयो को जैसे जैसी दर्ज है, वैसे ही दर्ज करने का अधिकार है, उसे बदलने का कोई अधिकार नही था व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के मनमकसूद तरीके से रामचन्द्र, बंशी लाल पुत्र श्री चुन्नी लाल नाम दर्ज किया गया, रामचन्द्र की विरासत को विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 एंव विपक्षी संख्या 04 लगायत 06 के पिता व पति बंशी लाल द्वारा दर्ज करवा दी जो विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 एंव बंशी लाल के नाम पर दर्ज है, जो कि गलत अवैध इन्द्राज है। प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करा विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 एवं विपक्षी संख्या 04 लगायत 06 के पिता व पति बंशी लाल का नाम विलोपित करा 1/2 हक हिस्से को प्रार्थीगण अपने नाम पर दर्ज करवाने व सम्पूर्ण आराजी के खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है।

इस पर प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई बार उनका नाम राजस्व रेकार्ड से हटा, प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज कराने हेतु निवेदन किया, लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमटोल करते चले आ रहे है। दिनांक 02 मार्च 2022 को विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 मोके पर आये व प्रार्थीगण को जबरन मौके से बेदखल करने की कोशिश की व भूमि को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने की धमकी दी व विपक्षीगण द्वारा उंक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज करने से साफ तोर इंकार कर दिया। इस कारण से प्रार्थीगण को यह वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

भूप्रबंध अधिकारीयो को किसी की खातेदारी मे अन्य के नाम पर भूमि दर्ज करने का अधिकार नही था व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बावजूद भी सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीयो अधिकारीयो द्वारा गलत तरीके से 1/2 हक हिस्सा की भूमि विपक्षीगण व उनके पूर्वज रामचन्द्र, बंशी लाल पुत्र श्री चुन्नी लाल के नाम पर गलत रूप से दर्ज की है। विपक्षीगण का कोई हक

2/1/2026
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अधिकार नही है व न ही विपक्षीगण का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा एंव दखल रहा है व न ही आज कोई कब्जा एंव दखल है। विपक्षीगण द्वारा राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगती कर गलत तरीके से उक्त भूमि नाम पर दर्ज करायी है।

प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, विपक्षीगण का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाने व सम्पूर्ण भूमि के खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है व प्रार्थीगण को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार काश्तकार घौषित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

यदि विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 उक्त गलत अवैध इन्द्राज की आड़ मे प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगे व विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 एवं विपक्षी संख्या 04 लगायत 06 के पिता व पति बंशी लाल के नाम पर उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द कर देगा तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थी अपनी आराजियात से वंचित हो जायेगा। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस कारण से प्रार्थीगण के पक्ष मे एवं विपक्षीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 प्रार्थीगण को सरहद पुर पटवार हल्का पुर प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 2854 मे आराजी नम्बर 8149 रकबा 1.4668 हैक्टयर से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और नही किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे व उक्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण आदि नहीं करे व न ही किसी अन्य से करावें।

ग्राम पुर पटवार हल्का पुर प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 2854 मे आराजी नम्बर 8149 रकबा 1.4668 हैक्टयर भूमि मे विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नही होते हुए भी सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारीयो द्वारा गलत तरीके से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व बिना किसी विधिक आदेश के गलत तोर पर 1/2 हक हिस्सा रामचन्द्र, बंशी लाल पुत्र चुन्नी लाल के नाम पर दर्ज किया जो वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व प्रतिवादी संख्या 04 लगायत 06 के पिता व पति बंशी लाल के नाम पर दर्ज है, विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 व बंशी लाल पुत्र चुन्नी लाल का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित करा, उनके 1/2 हक हिस्से को प्रार्थीगण अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने का अधिकारी है, तद्नुसार घौषणात्मक डिकी बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा ग्राम पुर पटवार हल्का पुर प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 2854 में आराजी नम्बर 8149 रकबा 1.4668 हैक्टयर भूमि में उनका कोई हक अधिकार नहीं होते हुए व गलत तौर पर नाम इन्द्राज होने की जानकारी होते हुए भी केवल मात्र प्रकरण में पेचिदगीया बढाने की नियत से दिखावटी तोर पर बिना प्रतिफल के विपक्षी संख्या 02 के दोयते देवेन्द्र कुमार विश्नोई पुत्र श्री कन्हैया लाल विश्नोई आयु 40 वर्ष निवासी बजरंगपुरा, पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा के पक्ष में विकयपत्र दिनांक 03.02.2022 को निष्पादित कर पंजीयन कराया गया, जो वादीगण के वैध हक अधिकारों के मुकाबले, अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी (नल एण्ड वोईड) होने योग्य है।

प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है और यदि ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही फरमायी गयी और विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल कर देगा व आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण, खुर्द बुर्द कर देगा तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि विपक्षीगण प्रार्थीगण को ग्राम पुर पटवार हल्का पुर प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील एवं

21/1/2026
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला भीलवाडा (राज०) के खाता संख्या 2854 मे आराजी नम्बर 8149 रकबा 1.4668 हैक्टयर से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और नही किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे व न ही वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण, खुर्द बुर्द करे तथा न ही किसी अन्य से करावे तथा न ही वादग्रस्त आराजीयात के विक्रय/हस्तांतरण संबधी दस्तावेज तैयार कर उनका पंजीयन करावे तथा विपक्षी संख्या 08 की विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के विक्रय/हस्तांतरण संबधी दस्तावेज पेश करने पर उनका पंजीयन नही करे तथा विपक्षी संख्या 07 राजस्व रेकार्ड मे कोई परिवर्तन नही करे तथा वादीगण/ प्रार्थीगण को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.04.2022 को जारी की जाकर विपक्षीगण के नोटिस जारी किए गए।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का विपक्षी संख्या 04 लगायत 06 की ओर से जवाब दिनांक 19.1.2024 को पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पुर, पटवार हल्का–पुर (प्रथम), भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–पुर, तहसील व जिला–भीलवाड़ा की सरहद में खाता संख्या 2854 में आराजी संख्या 8149 रकबा 1.4668 हैक्टयर भूमि स्थित है जो विपक्षीगण के खातेदारी व कब्जेयाबी की है।

वादग्रस्त आराजियात जवाबदारान के खातेदारी अधिकार की है जिस पर जवाबदारान काबिज हो काश्त कर रह हैं प्रार्थीगण का न तो कब्जा है, न ही इस आराजी से प्रार्थीगण का कोई लेना है।

प्रार्थीगण को यह जानकारी प्रारंभ से ही थी कि कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात जवाबदारान की है जिनसे प्रार्थीगण का कोई लेना–देना नहीं है। मुकदमा नम्बर 41/2021 राजस्व वाद सही तौर पर पेश किया था लेकिन यह लिखना कि इस वाद के कारण उक्त इन्द्राज की जानकारी हुई कतई गलत दर्ज किया है। पुर गांव का सेटलमेंट हुआ तब प्रार्थीगण के पूर्वजों ने सही तौर पर भूमि जवाबदारान के नाम दर्ज करायी थी जिससे अब प्रार्थीगण लोप नहीं सकते इनके मन में बेईमानी आ जाने से यह प्रार्थनापत्र झूठा पेश किया है।

सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट के कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलीभगत करके जमीन जवाबदारान ने अपने नाम करवाली कतई गलत दर्ज की गयी है। वरन वादग्रस्त आराजियात जवाबदारान की थी इसलिए स्वयं प्रार्थीगण के पूर्वजों ने जवाबदारान के नाम दर्ज करवायी जिससे प्रार्थीगण पाबंद है, तथा इस इन्द्राज को लगभग 60 वर्षो से भी अधिक समय हो गया तथा पिछले 60 वर्षो से जवाबदारान के पूर्वज व उनके बाद जवाबदारान काबिज हो काश्त कर रहे हैं जिनकी जानकारी स्वयं प्रार्थीगण को प्रारंभ से ही थी व है तथा प्रार्थीगण एस्टोपल के सिद्धान्त से पाबंद है।

दिनांक 02 मार्च 2022 को जबरन जवाबदारान को कब्जा करने की कोशिश नहीं करनी पड़ी क्योंकि शुरू से ही जवाबदारान का कब्जा व भुगतभोग है, न रहन बंधित करते की धमकी दी, ना ही प्रार्थीगण का कब्जा ही नहीं है तो उन्हें बेदखल करने की नौबत ही कैसे आयी। वादग्रस्त आराजियात से प्रार्थीगण का कोई लेना–देना ही नहीं है तो इनके नाम कराने की कहना व नाम करवाना सब काल्पनिक है।

सेटलमेंट के कर्मचारियों ने व अधिकारियों ने अवैध रूप से भूमि नाम पर नहीं की है वरन् स्वयं प्रार्थीगण के पूर्वजों ने जवाबदारान की भूमि होने के कारण जवाबदारान के पूर्वजों के नाम दर्ज करायी जिससे अब प्रार्थीगण बदल नहीं सकते हैं। 1/2 हक व अधिकार जवाबदारान का है जिस पर जवाबदारान काबिज हो उपयोग कर रह हैं। चाही गयी दाद प्रार्थीगण पाने के अधिकारी नहीं है ।

02/1/2026

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

नाजायज तौर पर आराजियात जवाबदारान के नाम दर्ज नहीं हुई है न ही जवाबदारान खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। अगर किसी तरह से चाही गयी दाद प्रार्थीगण पाने में सफल हो जाते हैं तो जवाबदारान को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी तरह से संभव नहीं होगी। चाही गयी दाद प्रार्थीगण पाने के अधिकारी नहीं है।

जवाबदारान के नाम आराजियात जायज रूप से दर्ज हुई है जिस पर जवाबदारान काबिज हो उपयोग कर रहे हैं प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजियात के 1/2 हिस्से से कोई लेना-देना नहीं है।

जवाबदारान के नाम आराजियात जायज रूप से दर्ज हुई है जिस पर जवाबदारान काबिज हो उपयोग कर रहे हैं प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजियात के 1/2 हिस्से से कोई लेना-देना नहीं है इस प्रकार प्रार्थीगण का ना तो प्रथम दृष्टया मामला है ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा ना ही प्रार्थीगण को किसी तरह से अपूर्णनीय क्षति होगी संभावना है जबकि उक्त जवाब में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति तीनों बिन्दु जवाबदारान के पक्ष में है यदि जवाबदारान को किसी तरह की निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया तो जवाबदार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी रूप में संभव नही होगी ।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि जवाबदारान विपक्षी संख्या 4 से 6 की ओर से पेश जवाब नम्बर पर लेते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 10.06.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का पेश किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 की ओर से दिनांक 18.10.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 जाब्ता दीवानी पेश किया गया जो शामिल फाईल किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आदेश 6 नियम 17 व आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र तथा अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 का आदेश 7 नियम 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

प्रार्थी द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2024 को पेश किया गया, साथ ही अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं देने का अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर दिनांक 23.12.2024 को अंकित किया गया। जिसमें संशोधित प्रार्थना पत्र का जवाब बंद किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 एवं विपक्षी सख्या 09 देवेन्द्र कुमार की ओर से जवाब पेश किया।

भूमि पर प्रार्थीगण का सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा नही होकर 1/2 हक हिस्से पर विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 काबिज है व विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 जवाबदाता द्वारा अपना हक हिस्सा सद्भाविक तौर पर विपक्षी संख्या 09 को विक्रय कर दिया, जिस पर विपक्षी संख्या 09 सद्भाविक क्रेता मालिक काबिज है।

उक्त वादग्रस्त भूमि संयुक्त शामलाती अविभाजित कृषि आराजियात होने से विधिवत तौर पर बटवाड़ा हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया है।

वादग्रस्त भूमि जो कि प्रार्थीगण के अभिवचनो अनुसार वर्ष 2010–2013 एवं 2017–2020 मे उनके पूर्वजो के नाम पर दर्ज थी, इसके बाद दर्ज नही रही यानि 60 वर्षों तक उनके नाम पर दर्ज नही होकर विपक्षीगण जवाबदाता के पूर्वज रामचन्द्र, बंशी लाल पुत्र श्री चुन्नी लाल के नाम दर्ज है, विपक्षीगण जवाबदाता के पूर्वज रामचन्द्र, बंशी लाल काबिज थे व राजस्व कर्मचारीयो द्वारा विधिवत तोर पर भूमि दर्ज की गयी है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजो एवं विपक्षीगण जवाबदाता के पूर्वजो के नाम पर दर्ज थी, यदि किसी प्रकार से गलत इन्द्राज होता तो प्रार्थीगण के पूर्वज ही दुरुस्त करा सकते थे। प्रार्थीगण ने गलत तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो खारीज होने योग्य है।

02/1/2026

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

विपक्षीगण जवाबदाता का नाम गलत तौर पर इन्द्राज ही नहीं हुआ है तो प्रार्थीगण द्वारा नाम हटाने हेतु कहने व विपक्षीगण द्वारा टालमटोल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है व साथ ही दिनांक 02/03/2022 को मोके पर आकर बेदखल करने की कोशिश करना बताया है, जब मौके पर कब्जा ही विपक्षीगण जवाबदाता का है तो प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है।

विपक्षीगण जवाबदाता के पूर्वजो का नाम विगत करीब 60-65 वर्षों से अनवरत राजस्व रेकार्ड मे दर्ज चला आ रहा है व विपक्षीगण जवाबदाता के पूर्वज भी मौके पर काबिज थे व उनके देहान्त उपरान्त विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 काबिज है। प्रार्थीगण किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड मे अप्रार्थीगण का नाम विलोपित कराने के अधिकारी नही है।

जब मौके पर प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज है तो प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थीगण किसी प्रकार से कोई स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है।

प्रार्थीगण ने गलत तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है, प्रार्थीगण किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती कराने के अधिकारी नही है।

विपक्षी सख्या 01 लगायत 03 का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने व मोके पर विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 का कब्जा होने से विपक्षी संख्या 09 जवाबदाता द्वारा मौका व रेकार्ड देखकर सद्भाविक तौर पर उक्त भूमि कय की है व रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर मालिक व काबिज है। जिसे किसी प्रकार से अवैध व शून्य घौषित कराने का अधिकारी नही है।

प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है व नही सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, बल्कि उक्त तीनो बिन्दु विपक्षीगण जवाबदाता के पक्ष मे है।

उक्त भूमि जो कि प्रार्थीगण के अभिवचनो अनुसार वर्ष 2010–2013 एवं 2017–2020 में उनके पूर्वजो के नाम पर दर्ज थी. इसके बाद दर्ज नही रही यानि 60 वर्षो तक उनके नाम पर दर्ज नही होकर विपक्षीगण जवाबदाता के पूर्वज रामचन्द्र, बंशी लाल पुत्र श्री चुन्नी लाल के नाम दर्ज है. विपक्षीगण जवाबदाता के पूर्वज रामचन्द्र, बंशी लाल काबिज थे व राजस्व कर्मचारीयो द्वारा विधिवत तोर पर भूमि दर्ज की गयी है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजो एवं विपक्षीगण जवाबदाता के पूर्वजो के नाम पर दर्ज थी, यदि किसी प्रकार से गलत इन्द्राज होता तो प्रार्थीगण के पूर्वज ही दुरुस्त करा सकते थे। प्रार्थीगण ने गलत तथ्यो के आधार पर उक्त वादपत्र पेश किया है, जो खारीज होने योग्य है।

प्रार्थीगण के अभिवचनो अनुसार उक्त भूमि संवत 2017–2020 से विपक्षीगण के पूर्वजो के नाम पर दर्ज है व उक्त वादपत्र जो कि 60 वर्ष बाद उक्त वादपत्र पेश किया है, जो मियाद बाहर होने से खारीज होने योग्य है।

प्रार्थीगण ने उक्त वादपत्र मे रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को चैलेज किया है व कानूनन रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की श्रवणाधिकारिता व क्षैत्राधिकारिता सिविल न्यायालय को है। इस कारण से उक्त वादपत्र न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्र एंव श्रवणाधिकार का नही होने से खारीज होने योग्य है।

विपक्षी सख्या 01 लगायत 03 का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने व मोके पर विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 का कब्जा होने से विपक्षी संख्या 09 जवाबदाता द्वारा मौका व रेकार्ड देखकर सदभाविक तौर पर उक्त भूमि कय की है व रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर मालिक व काबिज है। जिसे किसी प्रकार से अवैध व शून्य घौषित कराने का अधिकारी नही है।

प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध कोई बिनाय वाद पैदा नही हुआ है. बिना बिनायवाद के प्रार्थनापत्र पोषणीय नही होने से खारीज होने योग्य है।

02/1/2026
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 07 एवं 08 को वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 जा०दी० के तहत 02 माह का नोटिस नहीं दिया है. जिसके अभाव मे वादपत्र पोषणीय नही होने से खारीज होने योग्य है।

प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है व नही सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है बल्कि उक्त तीनो बिन्दू विपक्षीगण जवाबदाता के पक्ष मे है। प्रार्थनापत्र खारीज होने योग्य है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विपक्षीगण जवाबदाता का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें।

दिनांक 09.05.2025 को अप्रार्थी संख्या 08 के सम्मन बाद तामील। अप्रार्थी संख्या 08 के फोरमल पक्षकार होने से जवाब दिनांक 06.06.2025 को बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 04 लगायत 06 की ओर से लिखित बहस दिनांक 25.07.2025 को पेश की गई, जिसे शामिल मिसल की गई।

उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला:-

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवदेन किया कि ग्राम पुर की वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या 8149 रकबा 1.4668 हैक्टयर है, जिसके साबिक आराजी नम्बर 3112 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा था जो सम्वत् 2017 से सम्वत 2033 की अवधि में प्रार्थीगण के पिता देवीचन्द पिता पुत्र नारायण विश्नोई के नाम दर्ज थी। भूप्रबन्ध बन्दोबस्त के दौरान भूप्रबन्ध अधिकारियों के द्वारा दौराने जवाब हाल आराजी नम्बर 8149 में प्रार्थीगण के पिता का 1/2 हिस्सा एवं प्रार्थी रामचन्द्र, बंशीलाल पुत्र चांदमल के नाम 1/2 हिस्सा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश एवं बिना किसी दजस्तावेज के दर्ज कर दिया गया है। जिसका भू-प्रबन्ध अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज किये जाने से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 6 व अप्रार्थी संख्या 9 के द्वारा प्रार्थीगण को बेदखल करने एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से के अन्तरण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। भू-प्रबन्ध अधिकारियों के द्वारा की गई गलती को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। भूप्रबन्ध अधिकारियों द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश एवं बिना किसी दस्तावेज के राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के पूर्वजों का नाम दर्ज किये जाने से प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बखूबी प्रमाणित होता है।

अप्रार्थी अधिवक्तागण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि लगभग 60 वर्षो से अधिक समय से अप्रार्थीगण के नाम 1/2 हक हिस्से का खातेदारी में दर्ज है, जो प्रार्थीगण के पूर्वजों की सहमति के उपरान्त राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण मौके पर अपने-अपने हक हिस्से अनुसार कब्जा होकर काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के पेश किया गया है। अप्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हक हिस्से के सहखातेदार होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादग्रस्त भूमि हाल आराजी नम्बर 8149 रकबा 1.4668 हैक्टयर भूमि भू-प्रबन्ध बन्दोबस्त के दौरान विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 व 9 के पूर्वाधिकारियों के नाम 1/2 हक हिस्सा से दर्ज रिकॉर्ड हुई। उक्त हक हिस्सा किस आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया इस बिन्दु का विनिश्चिय साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर ही संभव है। अतः प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है।

02/01/2026

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सुविधा का संतुलन :–

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि भूप्रबन्ध अधिकारियों द्वारा वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों के नाम 1/2 हक हिस्सा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश एवं बिना दस्तावेज के आधार पर किया गया है जो उनके क्षेत्राधिकार के बाहर था। उनके द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में किये गये परिवर्तन प्रारम्भ से ही शून्य एवं अकृत है। अतः अप्रार्थीगण का यह कथन की अप्रार्थीगण 60 वर्षों से अधिक अवधि से राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त भूमि के खातेदार है जिससे उन्हे वंचित नहीं किया जा सकता, प्रार्थना विधि के विरुद्ध है। राजस्व रिकॉर्ड में की गई गलती को सुधार किये जाने हेतु प्रार्थीगण के द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका अंतिम रूप से निस्तारण प्रार्थीगण के पक्ष में होना निश्चित है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है।

अप्रार्थी अधिवक्तागण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्सा जरिये पंजीकृत विकय पत्र के अप्रार्थी संख्या 9 के पक्ष में अंतरित कर दिया गया है, जिसे शून्य घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः राजस्व न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में 60 वर्षों से अधिक समय से खातेदार है और मौके पर काबिज होर काश्त कर रहे है। जिससे उन्हे बेदखल नहीं किया जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये कई निर्णयों में 12 वर्ष से अधिक पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रोद्‌भूत होने के निर्णय पारित किये गये है। अतः अप्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन का बिन्दु बखूबी प्रमाणित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भूप्रबन्ध बन्दोबस्त के दौरान राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों के नाम 1/2 हक हिस्सा दर्ज किये जाने के कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ है। प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत मूलवाद वर्तमान में साक्ष्य वादी की स्टेज पर है और मूलवाद का निकट भविष्य में ही निस्तारण किया जाना संभव है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज 1/2 हक हिस्सा के स्वत्व का निर्धारण मूलवाद में तनकीयात पर साक्ष्य/सबूतों के आधार पर किया जाना संभव है। राजस्व रिकॉर्ड में भूप्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये परिवर्तन का प्रथम दृष्टया कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाने से अप्रार्थीगण अपने पक्ष में सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रमाणित करने में असफल रहा है।

3. अपूरणीय क्षति का बिन्दुः–

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा मौके पर वाद विवाद उत्पन्न होने के तत्काल पश्चात् अपना हक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 9 के पक्ष में जरिये पंजीकृत विकय विलेख अप्रार्थी संख्या 9 के पक्ष में अंतरण कर दिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से का यदि दीगर व्यक्ति के पक्ष में अंतरण कर दिया जाता है तो प्राथीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं होगा। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित हुआ है।

अप्रार्थी अधिवक्तागण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के उपयोग–उपभोग अंतरण किये जाने को रोका जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि का अंतरण अप्रार्थी संख्या 9 के पक्ष में वाद प्रस्तुतीकरण के पूर्व किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निहित वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर की आराजी संख्या 8149 रकबा 1.4668 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा अपने हक हिस्से का अंतरण यदि दीगर व्यक्तियों को कर दिया जाता है तो नवीन वाद विवाद उत्पन्न होगे और न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि वाद प्रस्तुतीकरण के उपरान्त वादग्रस्त भूमि के अन्यत्र अंतरण को रोके। जिससे नवीन पक्षकारान के मध्य नवीन वाद विवाद उत्पन्न नहीं हो। अतः प्रार्थीगण अपने पक्ष में अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में सफल रहा है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में प्रथम दृष्टया सफल रहे है। अतएव

—: आदेश :—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है और प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.04.2022 को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में यथास्थिति बनाये रखे। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारों में से यदि किसी खातेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्वीय विधि से विरासतीय आधार पर नामान्तरण दर्ज करने पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा। उभयपक्षकारान् को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु मुलवाद के निस्तारण तक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा